# आरएफपी संदर्भ सः-

# एचओ/आरएमएमडी/डाक/2023/00121

# दिनांक 11 जनवरी, 2023

**कंपनी सचिव फर्म की नियुक्ति के लिए**

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)**

**संसाधन संग्रहण एवं प्रबंधन विभाग**
**प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक**
**कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,**
**नई दिल्ली - 110 003**
**फोन: 011-3918 7000-35**
**ईमेल: subhash@nhb.org.in ; rajkumar.negi@nhb.org.in**

**1. महत्वपूर्ण बोली विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| | बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री आरंभ होने की अनंतिम तिथि | 11 जनवरी, 2023 |
| | बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक | 18 जनवरी, 2023 |
| | बोली दस्तावेजों की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय | 3 फरवरी, 2023 |
| | बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय | 3 फरवरी 2023, शाम 05:00 बजे |
| | तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय# | 6 फरवरी 2023, दोपहर 12:00 बजे |
| | बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी प्रस्तुति | बाद में सूचित कराया जाएगा |
| | बोली खोलने का स्थान<br><br>(वीसी के माध्यम से आयोजित करने पर ईमेल पर बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा) | राष्ट्रीय आवास बैंक,<br>संसाधन संग्रहण एवं प्रबंधन विभाग<br>प्रधान कार्यालय<br>कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 |
| | अधिक जानकारी के हेतु कृपया www.nhb.org.in पर जाएं | |

**नोट**: -

- #तकनीकी बोलियां बैठक में भाग लेने वाले बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल निर्दिष्ट संपर्क कर्मियों से ई-मेल के माध्यम से या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करके प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को बाद की तिथि में सूचित किया जाएगा।
- # इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से जमा किए गए सभी डेटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाना चाहिए और इस आरएफपी के प्रकाशन की तिथि के रूप में माना जाएगा।

## 1. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- अधिनियम के तहत प्राप्त विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति कर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में स्थित हैं। इसके प्रतिनिधि कार्यालय चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी और भोपाल में स्थित हैं।

## 2. प्रयोजन:

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 3. उद्देश्य:

सुरक्षित/असुरक्षित, सूचीबद्ध/असूचीबद्ध बॉण्ड/डिबेंचरों, वाणिज्यिक पत्रों आदि से संबंधित अनुपालनों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना एवं प्रयोज्यता की सीमा और विभिन्न प्रतिभूति कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या के बारे में बैंक को सलाह देना और बैंक पर लागू होने वाले किसी भी नए नियम के बारे में सूचित करना।

## 4. कार्य-क्षेत्र:

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**5. वितरणयोग्य :**

वितरणयोग्य कार्य क्षेत्र के तहत परिभाषित के रूप में लागू होते हैं और इस आरएफपी में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने और विभिन्न सेवाओं के कार्यान्वयन सहित आवश्यक हैं लेकिन इस सक्षमता के लिए वाणिज्यिक बोली/तकनीकी बोली में परिभाषित के रूप में सीमित नहीं है।

6. **अनुबंध की अवधि**:

अनुबंध नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष हेतु मान्य होगी। हालांकि, बैंक द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में अनुबंध के तहत कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाएगी और तदनुसार, संतोषजनक कार्य-निष्पादन समीक्षा के अधीन, बाद के वर्ष के लिए नए सिरे से कार्य आबंटित/कार्य आदेश जारी करके अनुबंध का नवीनीकरण किया जाएगा। यदि कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो बैंक के पास अनुबंध को रद्द करने का अधिकार है।

नियुक्ति की तिथि कार्य आबंटन पत्र/कार्य आदेश (प्रारंभिक तिथि) की तिथि या उपर्युक्त अन्य तिथि होगी जो रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी।

**नोट**:

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**7. बोलीदाताओं को निर्देश:**

**8.1 सामान्य**:

- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- अनुबंधात्मक करार का निष्पादन होने तक बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व समग्रता समझौते के अलावा किसी भी बोलीदाता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच कोई बाध्यकारी संबंध मौजूद नहीं रहेगा। सफल बोलीदाता की पहचान, बोलियों को अंतिम रूप देने और मूल्यांकन के बाद, समग्रता समझौता सफल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले निश्चित करार का भाग होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, प्रस्तुत बोली के संबंध में कथित संविदा-पूर्व समग्रता समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किया गया कार्य/गलती के लिए उन पर संविदा-पूर्व समग्रता समझौता बाध्यकारी होगा।
- प्रत्येक प्राप्तकर्ता स्वीकार करता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने संपूर्ण अधिकार में पात्र परामर्शदाता को शॉर्ट लिस्ट करने/चयन करने हेतु प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु दस्तावेज में निर्दिष्ट चयन मापदंड को लागू कर सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता, इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी और अस्वीकरण की शर्तों को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।

- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें

| | |
|---|---|
| श्री सुभाष<br>क्षेत्रीय प्रबंधक<br>आरएमएमडी<br>राष्ट्रीय आवास बैंक<br>प्रधान कार्यालय<br>कोर 5 ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003<br>फोन नंबर: 011-39187174<br>ई-मेल: subhash@nhb.org.in | श्री राज कुमार नेगी<br>प्रबंधक<br>आरएमएमडी<br>राष्ट्रीय आवास बैंक<br>प्रधान कार्यालय<br>कोर 5 ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावस केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003<br>फोन नंबर: 011-39187155<br>ईमेल: rajkumar.negi@nhb.org.in |

- रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी/निविदा के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण यदि कोंई हों, बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, प्रात: 10.00 बजे से सांय 6.00 बजे के बीच उपरोक्त संपर्क सूत्रों के समक्ष उठाया जा सकता है।
- बोलीदाता भारत में किसी सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/भा.रि.बैंक/ बैंक/ भारत में वित्तीय संस्थान/विनियामक प्राधिकरण द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।
- रा.आ.बैंक सभी लघु-सूचीबद्ध बोलीदाताओं को उनके आरएफपी के परिणाम के बारे में यथाशीघ्र लिखित रूप में या मेल द्वारा या अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ.बैंक ऐसी किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- रा.आ.बैंक के पास अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय पूरी निविदा प्रक्रिया, यदि वह उपयुक्त समझा जाता है को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

## 8.2 बोली पूर्व बैठक:

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं की संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ रा.आ.बैंक आरएफपी में निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोली-पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न, लिखित रूप में, ई-मेल या डाक द्वारा 16 जनवरी, 2023 को या उससे पहले 14:00 बजे तक उपरोक्त पते पर पहुंच जाने चाहिए। यह ध्यान

दिया जाए कि बोली-पूर्व बैठक के बाद किसी भी बोलीदाता के किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली-पूर्व बैठक में ही दिया जाएगा। बोली-पूर्व बैठक में केवल बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को ही भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

**8.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ की सॉफ्ट प्रति:**

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति रा.आ.बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

**8.4 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता**

यह आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

**8.5 विलोपन अथवा परिवर्तन:**

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर तकनीकी बोली में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके से कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। "ठीक", "स्वीकृत", "विख्यात", जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

**8.6 बोली/निवदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन**

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ में संशोधन को संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

## 8.7 बोली की भाषा:

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

## 8.8 माक्सड वाणिज्यिक बोली:

बोलीदाता को रा.आ.बैंक को प्रस्तुत की जा रही वास्तविक मूल्य बोली (रा.आ.बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) की एक प्रति अलग से वास्तविक मूल्यों (अलग-अलग लिफाफे में) को आवरण प्रस्तुत करनी चाहिए। **यह अनिवार्य है।** बोली को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि इसे ठीक से आवरण करके प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यदि माक्सड वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य को छोड़कर) प्रस्तुत वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से मेल नहीं खाता है तो रा.आ.बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय बोली/निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का है।

## 8.9 स्थान/मात्रा बदलने का अधिकार

रा.आ.बैंक आरएफपी में विनिर्दिष्ट प्रस्तावित स्थान/स्थानों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ.बैंक समय-समय पर इस आरएफपी में निर्दिष्ट सूची से एक या अधिक स्थान/स्थानों को जोड़ने/हटाने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

## 8.10 बोली दस्तावेज (यदि प्रारूप में कोई अनुदेश अलग से निर्धारित किए गए हैं तो कृपया उनका पालन करें)

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 8.11 बोली मुद्रा:

बोलियां केवल भारतीय रुपए में उद्धृत होंगी। भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

## 8.12 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**8.13 कार्यान्वयन अनुसूची:**

- चयनित विक्रेता को कार्य आदेश की स्वीकृति के 10 दिनों के भीतर सेवाएं आरंभ करने के लिए रा.आ.बैंक मुख्यालय में रिपोर्ट करना अपेक्षित होगा।
- बोलीदाता सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार होगा।

| **क्रं. सं.** | **घटना** | **वितरण अनुसूची (कार्य आदेश/कार्य आबंटन पत्र की स्वीकृति की तिथि से)** |
|---|---|---|
| 1. | बैठक का आरंभ | 5 दिन |
| 2. | सेवाओं का आरंभ | 6 दिन या |

आरएफपी की शर्तों के अनुसार एसएलए के निष्पादन के बाद ही बिलिंग चक्र शुरू होगा।

**8.14 बोलियों की वैधता अवधि**

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख छह माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ.बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। ऐसे अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होंगे।

**8.15 बोलियों का प्रारूप और हस्ताक्षर**

प्रत्येक बोली दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी:

- **भाग I:** न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली और मास्क्ड वाणिज्यिक बोली [बिना किसी मूल्य के मूल्य बोली] शामिल हैं। उपरोक्त सामग्री को "**तकनीकी प्रस्ताव**" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
- **भाग II:** इसमें केवल वाणिज्यिक बोली शामिल है जिसे "**वाणिज्यिक प्रस्ताव**" के रूप में संदर्भित किया गया है
- मूल बोलियों को अमिट स्याही से टंकित या लिखा जाएगा और बोलीदाता या बोली लगाने वाले को अनुबंध से संबंद्ध के लिए विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोली के सभी पृष्ठों पर अपने आद्याक्षर करने होंगे।

**8.16 बोलियों की सीलिंग एवं चिन्हांकन:**

- नॉन विंडो और मुहरबंद लिफाफे में भाग I और भाग II दोनों शामिल हैं, जैसा कि 8.16 में वर्णित है, "**राष्ट्रीय आवास बैंक के अनुपालन के लिए कंपनी सचिव फर्म की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव**" नीचे दिए गए पते पर रा.आ.बैंक पर भेजा जाएगा:

उप महाप्रबंधक
संसाधन संग्रहण एवं प्रबंधन विभाग (आरएमएमडी)
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड
नई दिल्ली - 110003

- सभी लिफाफों पर सम्पर्क नम्बर के साथ बोलीदाता का नाम, पता और लिखा होना चाहिए।
- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहर बंद करेगा।
- लिफाफा नॉन विंडो होना चाहिए और इसके ऊपर"**राष्ट्रीय आवास बैंक के अनुपालन के लिए कंपनी सचिव फर्म नियुक्ति के लिए तकनीकी प्रस्ताव**" और **"राष्ट्रीय आवास बैंक के अनुपालन के लिए कंपनी सचिव फर्म नियुक्ति के लिए वाणिज्यिक प्रस्ताव" जैसा लागू हो,** अलग से लिखा होना चाहिए।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो रा.आ.बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोलियां जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

## 8.17 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:

- बोलियां रा.आ.बैंक बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट की सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकती है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

## 8.18 विलंब से प्राप्त बोलियां:

रा.आ. बैंक द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

**8.19 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना:**

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख और समय को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।
- **तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान:**

  राष्ट्रीय आवास बैंक
  कोर 5ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र
  लोधी रोड
  नई दिल्ली - 110003
- तकनीकी बोली खोलने के समय बोलीदाता के नाम की घोषणा अपने विवेक से उचित मानी जा सकती है।

**8.20 बोलियों का स्पष्टीकरण**

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स/ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

**8.21 प्रारंभिक जांच:**

- रा.आ.बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

**8.22 प्रस्ताव का स्वामित्व:**

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सभी सहायक प्रलेखन तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा प्रलेखन लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

**8.23 बोलीदाताओं को निर्देश:**

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही

निपटाएगा।

चयनित बोलीदाता/फर्म के मालिक/वरिष्ठ भागीदार रा.आ.बैंक से संबंधित सभी अनुपालन रिपोर्टिंग/प्रस्तुतीकरण के लिए उसकी आवधिक समीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।

चयनित बोलीदाता को इन लेखा परीक्षा क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले सभी बाद के विनियामक और अन्य परिवर्तनों के बारे में खुद को अद्यतित रखना आवश्यक है।

### 8.24 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न:

- बोलीदाता को **अनुलग्नक IX** में प्रदान किये गये प्रारूप के अनुसार यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से कीमतों को प्रस्तुत करना होगा। किसी भी विचलन की स्थिति में बोली अस्वीकार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बोली के अलावा किसी भी विकल्प को कोट नहीं किया जायेगा। जहां भी विकल्प दिए जाते हैं, वहां बोली अस्वीकार कर दी जाती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव एक निश्चित मूल्य के आधार पर होगा। अनुबंध की अवधि के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य के लिए करों (वर्तमान और भविष्य) को छोड़कर परामर्श की लागत से संबंधित कोई मूल्य भिन्नता पर विचार नहीं किया जाएगा।।
- जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान सांविधिक प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित पत्र सौंपने की तिथि/लेटर ऑफ अवार्ड (प्रारंभिक तिथि) या ऐसी अन्य तिथि की स्वीकृति की तारीख होगी। यदि लागू हो, तो समर्थन सेवाओं आदि के नवीनीकरण के लिए उसी तिथि पर विचार किया जाएगा।

### 8.25 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस अनुबंध के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सीएस फर्म के पास नई दिल्ली और मुंबई में उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए।

### 8.26 मैनुअल/ड्राइंग:

सीएस फर्म अनुबंध की अवधि के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं के लिए पूर्ण तकनीकी और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, सीएस फर्म बैंक द्वारा वांछित प्रारूप में नमूने/दस्तावेज प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर सेबी, भा.रि.बैंक और अन्य विनियामक निकायों द्वारा अनुपालन की आवश्यकता है।

### 8.27 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम

समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-वितरण के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

**8.28 कीमतों का प्रकटीकरण:**

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएग। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

**8.29 बोली लगाने वाली फर्मों की निबंधन व शर्तें**

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है अनुलग्नक- IV के अनुसार विचलन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए, इस आरएफपी पर लागू अनुबंध के नियम और शर्तें उनके लिए स्वीकार्य नहीं हैं। बोलीदाताओं को यह भी स्पष्ट रूप से वर्णन करना होगा कि वस्तुओं और सेवाओं को किस रूप में और किस सीमा तक विनिर्देशों और आवश्यकताओं में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अलग से प्रस्तावित किया जा रहा है।

**8.30 स्थानीय परिस्थितियां**

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

**8.31 रा.आ.बैंक से सपंर्क करना या बाहरी प्रभाव डालना:**

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

**8.32 प्रस्ताव की सामाग्री:**

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

**8.33 प्रतिबंधित या सूची से निकाले गए बोलीदाता**

बोलीदाताओं को एक घोषणा देनी होगी कि उन्हें किसी भी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, पीएसयू या पीएसबी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित या असूचिबद्ध नहीं किया गया है। यदि किसी बोलीदाता को किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, पीएसयू या पीएसबी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। यदि यह घोषणा नहीं दी जाती है, तो बोली गैर-उत्तरदायी के रूप में खारिज कर दी जाएगी। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

## 8.34 कानूनों का अनुपालन

(क) बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके कारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारी वर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानि रहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) बोलीदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानि रहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह संविदा नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस संविदा के तहत ठेकेदार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## 8.35 बौद्धिक संपदा का अधिकार

बोलीदाता वारंट देता है कि परामर्शदाता के रूप में इसके चयन की स्थिति निम्नलिखित हैं:

(क) इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट, किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(ख) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(ग) ऐसी स्थिति में जब प्रदेय तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के दावे का विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा और व्यय पर: (क) ऐसे प्रदेय का उपयोग जारी रखने हेतु रा.आ.बैंक के लिए खरीद का अधिकार; (ख) ऐसे प्रदेय को बदलने या संशोधित करने के लिए उन्हें गैर-उल्लंघनकारी बनाकर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि समान कार्य प्रतिस्थापन या संशोधित प्रदेय द्वारा उल्लंघनकारी प्रदेय के रूप में किया जाता है; अथवा (ग) यदि उपयोग करने का अधिकार खरीद नहीं हो सकता या प्रदेय को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता तो प्रदेय की विवरणी को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे प्रदेय के लिए बोलीदाता को दी गई किसी भी राशि के लिए साथ ही रा.आ. बैंक द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त समान उपकरणों की खरीद के लिए रा.आ. बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत रा.आ. बैंक को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, इस संबंध में रा.आ. बैंक किसी भी तरह के व्यय, प्रभार, शुल्क या किसी प्रकार की लागतों को नहीं उठाएगा। मौजूदा उपायों के बावजूद, बोलीदाता प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने के लिए रा.आ. बैंक की असमर्थता के कारण यदि सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है तो दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

(घ) बोलीदाता स्वीकार करता हैं कि व्यापार तर्क, कार्य प्रवाह, प्रतिनिधिमंडल और रा.आ. बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया और समर्पण संवेदनशील व्यापार प्रकृति के हैं और इसलिए इसे अन्य ग्राहकों, एजेंट या सॉफ़्टवेयर के वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के क्षेत्र में वर्णित परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता है और यदि आरएफपी में उल्लिखित की गई विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रणाली प्रक्रियाओं को सुधारनें में असमर्थ है, तो इस परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

## 8.36 गलत/ अधूरा कथन

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 8.37 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

  यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

- बोलीदाता को **अनुलग्नक XIX** में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

क) “बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'एजेंसी' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

ख) “इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता” का अर्थ: -

(i) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कोई इकाई; या
(ii) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कोई सहायक या संस्था; या
(iii) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियंत्रित एक इकाई; या
(iv) एक इकाई जिसका लाभकारी स्वामी ऐसे देश में स्थित है; या
(v) ऐसी इकाई का एक भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
(vi) एक सामान्य व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या
(vii) एक संघ या संयुक्त उद्यम जहां संघ या संयुक्त उद्यम का कोई सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

ग) उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;

iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;

v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

घ) एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

**9 बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक) और बोली मूल्यांकन पद्धति:**

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

**10. <u>वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें</u>**

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना/कार्य के लिए निम्नलिखित वाणिज्यिक नियमों एवं शर्तों को ध्यान में रखें।

**10.1 मुद्रा:**

बोलीदाता से भारतीय रुपये में बोली लगाने का अनुरोध किया जाता है। भारतीय रुपये के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**10.2 मूल्य:**

क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य में सभी प्रकार की लागत शामिल होनी चाहिए।

ख) मूल्य 3 वर्ष की पूर्ण अनुबंध अवधि के लिए वैध और दृढ़ होना चाहिए।

ग) वाणिज्यिक बोली के अनुसार मूल्य में सभी कर (जीएसटी को छोड़कर), शुल्क, लेवी शुल्क, परिवहन, बीमा शामिल होना चाहिए।

घ) बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य अनुबंध अर्थात 3 वर्ष की अवधि के लिए जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है, के बोलीदाता के कार्य-निष्पादन के दौरान स्थिर रहेगा।

ङ) समायोज्य मूल्य कोटेशन के साथ प्रस्तुत की गई बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

च) अनुबंधित दरों के आधार पर, रा.आ.बैंक अपने विवेक से पिछले वर्ष/कार्य के निष्पादन की समीक्षा के बाद वार्षिक रूप से दोहराए जाने वाले आदेश दे सकता है।

छ) भविष्य की किसी भी आवश्यकता के लिए, वाणिज्यिक प्रस्ताव में उल्लिखित और इस आरएफपी की लागू शर्तों के अनुसार अनुबंधित मानव-दिवस दर पर आदेश दिया जाएगा। आदेश को स्वीकार करने में विफल होने पर रा.आ.बैंक के विवेक पर अर्थदंड और इस आरएफपी की समाप्ति की शर्तें लागू होंगी।

**10.3 भुगतान नियम:**

निम्नलिखित भुगतान शर्तों के अनुसार एसएलए और एनडीए पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई भुगतान जारी किया जाएगा

सेवा प्रदाता का भुगतान मासिक आधार पर सेवा प्रदाता द्वारा तैयार किए गए चालानों के आधार पर किया जाएगा, जो अनुपालन पूरा होने और बैंक को संबंधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज जमा करने के बाद और आरएफपी में दिए गए वितरणयोग्य को पूरा करने के अधीन होगा।

**10.4 संविदा की समाप्ति की स्थिति में भुगतान :**

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा समप्त हो जाती है तो सेवाओं के प्रति भुगतान को लागू दंड और टीडीएस /अन्य लागू करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
www.nhb.org.in – **What's New**

**कृपया नोट करें** – अंग्रेजी आरएफपी संस्करण राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in में What's New हेड पर उपलब्ध है।

***किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।***

**XXXXXXXXXXX**